पुरस्कार हेतु मार्ग–दर्शक सिद्धांत

1. देवभूमि उत्तराखण्ड खेलरत्न पुरस्कार के अन्तर्गत रू0 5.00 लाख की धनराशि, एक शॉल एवं एक स्मृति चिह्न प्रदान किया जायेगा।
2. देवभूमि उत्तराखण्ड द्रोणाचार्य पुरस्कार के अन्तर्गत रू0 3.00 लाख की धनराशि, एक शॉल एवं एक स्मृति चिह्न प्रदान किया जायेगा।
3. पुरस्कार प्रदान किये जाने के संबंध में चयन खेल मंत्रालय, उत्तराखण्ड द्वारा गठित हाई पावर कमेटी द्वारा किया जायेगा।
4. सरकार द्वारा ऐसे खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को पुरस्कृत किये जाने पर विचार किया जायेगा, जिनकी संस्तुति राज्य क्रीड़ा संघों द्वारा की गयी हो तथा वह उत्तराखण्ड राज्य का मूल निवासी हो तथा जिनके द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया गया हो।
5. मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक अर्जित किया हो।
6. वही प्रशिक्षक आवेदन करने के पात्र होंगे, जिनके खिलाड़ियों ने सीनियर अथवा जूनियर वर्ग में मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक अर्जित किया हो अथवा भाग लिया हो।
7. अन्तर्राष्ट्रीय खेल से आशय मान्यता प्राप्त ओलम्पिक, विश्वकप, एशियाई, एफ्रोएशियन, सैफ खेल एवं राष्ट्रमण्डल खेलों से है।
8. यदि राज्य क्रीड़ा संघ चाहे तो खेलकूद निदेशालय को किसी भी खेल में एक से अधिक नामों की सिफारिश कर सकता है, किन्तु नामों की संख्या 30 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
9. पुरस्कृत खिलाड़ी राज्य में आयोजित किसी भी राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खेलकूद आयोजन में निःशुल्क प्रवेश का अधिकारी होगा।
10. किसी आवेदन/संस्तुति के संबंध में किसी भी रूप में सिफारिश करने से उस प्रविष्टि (Disqualified) अनर्ह ठहराया जा सकेगा।
11. एक व्यक्ति को जीवनकाल में एक बार ही पुरस्कृत किया जायेगा।
12. पुरस्कार मरणोपरान्त भी दिया जा सकता है।
13. किसी भी प्रकार के अन्यथा तथ्य/कदाचार का पुष्ट प्रमाण मिलने पर प्रदत्त पुरस्कार को सरकार निरस्त कर सकती है और उस दशा में संबंधित को पुरस्कार के रूप में प्रदान की गई प्रतिमा तथा वर्तिलेख एवं धनराशि को वापस करना होगा। इस प्रकार निरस्त आदेश अंतिम होगा।
14. उस व्यक्ति के संबंध में जिसे पुरस्कृत करने की सिफारिश की गयी हो उसने इस सम्मान को पाने के लिए अपनी सहमति दे दी है। यह समझा जायेगा कि उसने उपरोक्त नियमों को स्वीकार कर लिया है।
15. सामान्यतः किसी वर्ग विशेष में किसी एक खिलाड़ी/प्रशिक्षक को पुरस्कृत किया जायेगा।
16. राज्य सरकार प्रतिवर्ष उपरोक्तानुसार उल्लेखित नियमों एवं खेलों में किन्हीं दो खेलों के ऐसे वृद्ध (वैटरन) खिलाड़ियों के नामों पर भी उक्त पुरस्कार हेतु विचार कर सकती है, जिनके द्वारा संबंधित खेल में महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त करते हुए प्रदेश एवं देश का गौरव बढ़ाया गया हो। वृद्ध (वैटरन) खिलाड़ी (महिला एवं पुरूष) उसको माना जायेगा, जिसकी आयु संबंधित वर्ष विशेष में विज्ञप्ति जारी होने की तिथि को 40 वर्ष से कम न हो तथा वहीं व्यक्ति पात्र होगा, जिसे पूर्व में प्रदेश सरकार द्वारा राज्य पुरस्कार से सम्मानित न किया गया हो।
17. द्रोणाचार्य पुरस्कार हेतु प्रशिक्षक द्वारा फार्म में उल्लेखित खिलाड़ी के नाम इस आधार पर स्वीकार किये जायेगें अगर संबंधित खिलाड़ी द्वारा रू0 10/– के स्टाम्प पेपर पर यह उल्लेख करे कि संबंधित प्रशिक्षक द्वारा मुझे माह/वर्ष में प्रशिक्षित किया गया है। अन्यथा बिना स्टाम्प पेपर के आवेदन पत्र कदापि स्वीकार नहीं किये जायेगें।

18. आवेदनकर्ता द्वारा निम्न तथ्यों के संबंध में शपथपत्र देना होगा कि 1. उसके द्वारा किसी भी प्रतियोगिता/चैंपियनशिप/खेल आयोजनों में मादक पदार्थों का सेवन किये बिना ही प्रतिभाग किया है। 2. वह मा0 न्यायालय द्वारा किसी वाद में दोषी नहीं ठहराया गया है। 3. वह यौन उत्पीड़न से संबंधित किसी आरोप में दोषी नहीं ठहराया गया है।
19. देवभूमि उत्तराखण्ड खेल रत्न पुरस्कार एवं देवभूमि उत्तराखण्ड द्रोणाचार्य पुरस्कार हेतु **वित्तीय वर्ष 2019–20 एवं 2020–21** के लिए शासनादेश संख्या 429/VI-2/2014-6(3)2008 दिनांक 28 अक्टूबर, 2014 के अनुसार खिलाड़ी एवं प्रशिक्षक के जीवनकाल के समस्त उपलब्धियों के आधार पर दिया जायेगा **तथा वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए** शासनादेश संख्या 880(A)/VI-3/2021-06(03)/2008 दिनांक 17 नवम्बर, 2021 के अनुसार देवभूमि उत्तराखण्ड खेल रत्न पुरस्कार हेतु 01 कलैण्डर वर्ष की समस्त खेल उपलब्धियों को मूल्यांकन में सम्मिलित किया जायेगा तथा देवभूमि उत्तराखण्ड द्रोणाचार्य पुरस्कार हेतु विगत 03 कलैण्डर वर्ष की समस्त खेल उपलब्धियों को मूल्यांकन में सम्मिलित किया जायेगा।
20. अंतिम तिथि के उपरान्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

निदेशक खेल, उत्तराखण्ड